तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
16/5/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सभ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 5/5/22 को पेश हो।
05/05/2022	पत्रावली पेश हुई। वादीगण व वकील वादीगण उपस्थित विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। विभाजन प्रस्ताव पर वादीगण व वकील वादीगण को सुना गया। वकील वादी का कथन है कि मेरा दावा बटवारे का है प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा विधिवत विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तावित किया है। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी किया जावें। वादीगण व वकील वादी को सुनने व पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने पर पाया गया कि खातेदारान के मध्य मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है जिससे वादीगण भी सहमत है। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है।
	अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना दिनांक 18.09.2021 द्वारा प्रस्तावितानुसार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण को विभाजन प्रस्ताव अनुसार पृथक–पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिक्री का भाग समझा जावें। तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पचा डिर्की मुर्तीव हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
	निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनुलिख ई)